

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 1981/चैत्र 20, 1903
No 144] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 1981/CHAITRA 20, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रहित रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

जिस मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1981

सीमा-शुल्क

सा. क्र. नि. 286 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अभिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,
भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना

सं. 130-सीमा-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “और बत्तखों के बच्चों” शब्दों के स्थान पर “बत्तखों के बच्चों और शुद्ध बंशक्रम कुक्कुट मृत्तक” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 109/फ़. सं. 355/32/81-सी. शू.-1]

के. चन्द्रमौली, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 130-Customs, dated the 1st July, 1977, namely :—

In the said notification, for the words “and ducklines”, the words “ducklings and pureline poultry stock” shall be substituted.

[No. 109/F. No. 355/32/81-Cus-J.]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.